दां.प्रकी.(द्विती.जमा.) 4324/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री आर.के.चारण,
विशेष जन अभियोजक श्री पन्नेसिंह उपस्थित।

यह द्वितीय जमानत का अभियुक्त-प्रार्थी अम्बादास की ओर से पेश किया गया है। पूर्व में अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र तफ्तीश के दौरान पेश किया गया था जिसे दिनांक 8.11.2004 को चार्जशीट पेश होने के बाद नया जमानत का प्रार्थना-पत्र पेश करने की हिदायत के साथ खारिज किया गया था।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में अब चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है। अभियुक्त के कब्जे से कथित रूप से 1 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम की बरामदगी बताई गई है जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है और धारा 37 के स्ट्रीक प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अभियुक्त पूर्व का सजायाबी नहीं है तथा न ही आदतन अपराधी है। अत: अभियुक्त प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य विशेष जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि अभियुक्त के बयानो से अभियुक्त अफीम का व्यापार करना बताया गया है, ऐसे प्रकरण में अभियुक्त की जमानत नहीं ली जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में अब तफ्तीश होकर चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है। जो माल की बरामदगी हुई है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अभियुक्त पूर्व का सजायाबी नहीं है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अम्बादास पुत्र नारायण दास वैरागी योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा